प्रेषक

**इन्दुबाला कटियार,**
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

**निदेशक,**
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**उद्यान अनुभाग** **लखनऊः दिनांक 25 मार्च, 2016**

**विषयः-** **अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य औद्यानिक मिशन की योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से भारत सरकार से स्वीकृत केन्द्रांश की प्रथम किस्त की धनराशि रू0-13452 हजार के सापेक्ष संशोधित फंडिंग पैटर्न के आधार पर 'राज्यांश' मद में अवशेष धनराशि रू0-1744 हजार को अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।**

**म**होदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-*412-13*/बजट-आयोजनागत/2015-16 दिनांक 17.03.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में केन्द्र पोषित चालू योजना 'राज्य औद्यानिक मिशन' योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि धनराशि के सापेक्ष वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी0-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30.03.2015 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत भारत सरकार से वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्रांश व राज्यांश के अनुमन्य फण्डिंग पैटर्न 60:40 के आधार पर कुल आवश्यकता के सापेक्ष राज्यांश मद में धनराशि रू0-1744 हजार (8968-7224) कम अवमुक्त की गयी है जिससे केन्द्रांश व राज्यांश के निर्धारित अनुपात में मिसमैच की स्थिति होने के कारण रू0-1744 हजार की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जानी है क्योंकि निदेशालय के पत्र दिनांक 24.11.2015 द्वारा अनुदान सं0-83 में भेजे गये धनराशि रू0-16275 हजार के प्रस्ताव के सापेक्ष शासन से धनराशि रू0 14531 हजार को अवमुक्त किये जाने के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0-1744 हजार (रूपये सत्तरह लाख चौवालिस हजार मात्र) को निम्न विवरण के अनुरूप अवमुक्त करने की वित्तीय/प्रशासकीय स्वीकृति अधोलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

**अनुदान सं0-83** **(धनराशि हजार रुपये में)**

| लेखाशीर्षक/मद का नाम | कोड सं0/मद का नाम | वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान | अब तक अवमुक्त की जा चुकी धनराशि | वर्तमान में राज्यांश मद में अवमुक्त का प्रस्ताव |
|---|---|---|---|---|
| **राजस्व लेखा**<br>2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-<br>789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-<br>01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-<br>0108-राष्ट्रीय बागवानी मिशन<br>(के.85/रा.15-के.+रा.) | 27-सब्सिडी | 153429 | 72968 | 1744 |
| | 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 6000 | 6000 | - |
| | **योग-** | **159429** | **78968** | **1744** |

***(रू0--सतरह लाख चौवालिस हजार मात्र)***

1- अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि के आहरित/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है। इस आशय का प्रमाण-पत्र उनके द्वारा कोषागार में धनराशि आहरित करने से पूर्व दिया जायेगा। तदोपरान्त धनराशि आहरित की जायेगी।

2- केन्द्रीय योजनाओं को ट्रेजरी के माध्यम से चलाये जाने के निर्णय के फलस्वरूप संदर्भित योजनान्तर्गत केन्द्रांश व राज्यांश के 50:50 प्रतिशत के अनुपात में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में धनराशि का प्रविधान किया गया है। अतएव भारत सरकार से कार्ययोजना के अनुमोदन तथा केन्द्रांश की धनराशि की स्वीकृति निर्गत हो जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार आहरण की कार्यवाही की जाय।

3- प्रस्तर-1 में दी गयी शर्त के अनुसार नियमानुसार केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि का व्यय, राज्य औद्यानिक मिशन योजनान्तर्गत भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य औद्यानिक मिशन/जिला औद्यानिक मिशन नियमावली में निहित प्राविधानों के तहत किया जायेगा एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 मे निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

.....3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त धनराशि का व्यय जनपदवार भारत सरकार से स्वीकृत परिव्यय/योजना के अनुसार निर्धारित फण्डिंग पैटर्न के अनुरूप ही किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5- जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6- अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

7- शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययता के संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

8- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व वित्त नियन्त्रक इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

9- भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10- उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/वित्त नियन्त्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियन्त्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

11- यदि भारत सरकार/शासन द्वारा निर्धारित शर्तो का विचलन किया जाता है तो उसके लिए निदेशक, मिशन/उद्यान तथा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, उद्यान तथा वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग उत्तरदायी होंगे।

12- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 29 मई,2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय।

13- प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता रिपोर्ट पूर्ण विवरण सहित प्रत्येक माह के 10 तरीख तक शासन को अवश्य ही उपलब्ध करायी जाय।

भवदीय,

**( इन्दुबाला कटियार )**
उप सचिव।

.....4/-

http://shasanadesh.up.nic.in

**<u>संख्या-</u>**24**<u>/2016-862(1)/58-2016-तद्दिनांक।</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन

(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/3 उ0प्र0 शासन।

(6) बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।

(7) वित्त नियन्त्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**( इन्दुबाला कटियार )**

***उप सचिव।***

http://shasanadesh.up.nic.in